

[Shri Dinesh Goswami] views are taken. The report has come and I do not think there should be any discussion on that. We "have got Private Member's Business today. Therefore, the Calling Attention Motion must finish before lunch. I will request you to conclude your introductory remarks within five minutes.

**CALLING ATTENTION TO A MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

**The pitiable condition of Sugarcane growers
due to non-payment of the price of
Sugarcane to them by Sugar Mills in the
country during the last five crushing
seasons.**

SHRI RAMANAND YADAV
(Bihar): Sir, I call the attention of the Minister of Agriculture and Rural Reconstruction to the pitiable condition of the sugarcane growers due to, 'non-payment of the price of sugarcane to them by the sugar mills in the country during the last five crushing seasons.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (RAO BIRENDRA SINGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I may state at the outset that the Government are fully conscious of the important role of sugarcane crop in the agricultural economy of India*. On this depends the welfare of millions of farmers in all parts of the country. In fact in many parts of our country this is perhaps the most important if not the only cash crop. The Government are also equally aware of the effect on the personal economy of the cane growers if cane dues are not paid regularly and in time. In fact all the legislative measures and the administrative decisions taken by the Government have always kept the welfare of the cane growers in the fore-front. The Government are keeping a constant and close watch on the payment of cane price to the cane growers by the factories.

In 1978 an amendment was made to the Sugarcane (Control) Order, 1966, whereby a provision was made for payment of interest at the rate of 15 per cent on cane dues remaining unpaid beyond a period of 14 days from the date of delivery of cane to the factory. The State Governments were advised to take urgent steps in pursuance of that amended Order through the medium of the local officers at the District and Tehsil levels. Where the Mills persistently default in the payment of cane price recourse is taken to the take-over of their management under a special legislation, entitled Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act. Under this Act, the Government have taken over the management of 8 sugar factories in the country and have also been reviewing the position regarding cane payment throughout the country. The House will be happy to know that these measures have shown significant beneficial results.

The cane price arrears relating to the "current season" were about Rs. 77 crores in the middle of May last year. As a result of the various measures and control exercised by this Government, the arrears have come down. For the current 1979-80 sugar season, out of the total cane price payable of the order of Rs. 548 crores an amount of Rs. 527 crores has already been paid so far thus bringing down the arrear to Rs. 21 crores. In terms of percentage the current balance constitutes about 4 per cent of the total dues as against 13 per cent this time last year. As regards the previous year's arrears not more than 0.8 per cent still remains to be paid. It would, therefore, be incorrect to say that the cane price payment, in any way, has slackened or that the Government are not watchful of the legitimate interests of the cane growers. It is our endeavour that even these arrears of Rs. 21 crores constituting about 4 per cent of the total price

payable should be wiped ^{out} quickly, particularly in the light of the good realisation accruing to the sugar mills for the free sale sugar. We are also periodically reviewing the arrear position and issuing show cause notices to the defaulting mills asking them to explain why their management should not be taken over by the Government for their persistent and wilful defaults. The need and importance of maintaining a close and continual watch on the situation has also been impressed upon the State Governments.

श्री रामानन्द यादव : उपसभाध्यक्ष जी, शुगर इंडस्ट्री हिन्दुस्तान की बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री रही है। शुरू में इस इंडस्ट्री में बहुत कम पैसा लगा और देश के बड़े बड़े पूँजीपतियों ने थोड़ा सा पैसा लगा कर काफी पैसे कमाए और एक मिल की बदौलत दो दो, चार चार, छः छः मिलों के मालिक बन गए और सरकार की तरफ से इन मिल मालिकों के टैरिफ में भी 20 वर्षों तक लगातार छूट मिलती गई जिस के कारण उन का मुनाफा बढ़ता गया। उपसभाध्यक्ष जी, आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जनता पार्टी के आने के पहले जो कांग्रेस की रिजिम में शुगर इंडस्ट्री के प्रति केन प्रोग्राम के प्रति जो नीति थी, उस में जनता पार्टी जैसे ही गवर्नमेंट पर आसीन हो गई उसमें बदलाव आ गया किसानों के केन का पैसा जो मिल मालिकों के पास बाकी रहता था उस को चुकता कराने के लिए कांग्रेस की सरकार बड़े ही निर्मम ढंग से पूँजीपतियों से पैसा दिलवाती थी, मसलन उन के स्टाक को जब्त कर लेती थी और जब्त करके जब तक वे पेमेंट नहीं करते थे तब तक कड़ाई के साथ एक बैग भी शुगर बाहर नहीं निकालने देते थे यहां तक कि मिल का जो मैनेजर होता था उन पर वारेन्ट होता था, उन को अरस्ट किया जाता था और वह बेल लेते थे और

इस तरह के केन प्राइस पेमेंट कराने के लिए सरकार बहुत ही कड़ाई के साथ व्यवहार करती थी लेकिन जनता पार्टी का प्रसासन आया तो मिल मालिकों ने यह समझा कि अब केन प्राइस दें या न दें उन पर कड़ाई नहीं की जा सकती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछली दफा आपको याद होगा आप भी इस सदन में थे मैंने पूछा था प्रश्न तो बताया गया कि 100 करोड़ से अधिक के केवल 2 साल का बकाया है। इसी सदन में अग्रिकलचर मिनिस्टर बरनाला साहब ने हमारे एक प्रश्न के उत्तर में बयान दिया था। तो यह दुख की बात है कि किसानों की इतनी बड़ी रकम मिल मालिकों के पास पड़ी रह जाती है। आज मिल मालिक केवल प्राइवेट लोग ही नहीं हैं, आज कोओपरेटिव सेक्टर में भी मिलें चलती हैं जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में और बेकोओपरेटिव सेक्टर के मिल भी पैसा नहीं दे पाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी नहीं दे पाते हैं। मैं उदाहरण के साथ बतलाना चाहता हूँ कि सरकार ने आज फैक्ट्रियां ली हैं उनमें ज्यादा फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने करन्ट प्राइस पे नहीं दिया है। न्यू सिवाल फैक्टरी और लखर की फैक्टरी मिस मैनेज हो गई केन प्राइस पेमेंट नहीं किया। न्यू सिवाल शुगर फैक्टरी, लोहाट की शुगर फैक्टरी जिसको सरकार ने टेक ओवर किया हो उदाहरण है। ऐसा भी हुआ है कि स्टेट गवर्मेंट ने कारपोरेशन बना दिया उन के अंदर भी जो फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों ने किसान को ईख का पैसा नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली जो मिलें हैं, जो खरीदती हैं, उन्हीं के संबंध में मंत्री जी ने बताया कि इतने रूपए उन के जिम्मे बाकी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह कोओपरेटिव सेक्टर में गवर्मेंट सेक्टर में और कारपोरेट सेक्टर में जितनी मिलें हैं या स्टेट गवर्मेंट ने जिनको टेक ओवर

[श्री रामानन्द यादव]

कर लिया है उन के जिम्मे कितना रुपया बाकी है? अभी मंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया उस से तो मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़ा सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस को एग्जामिन करा लें क्योंकि यह किसानों के जीवन के साथ निर्भर करता है।

जहां तक किसानों का जो केन का बाकी है उस पर सूद देने की बात है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी एक भी उदाहरण बताएंगे जहां किसानों के केन के बाकी पैसे को जो चुकता कराया गया है उन को उनके जितने पैसे बाकी थे उस पर 15 परसेन्ट सूद मिला है कि नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या मंत्री जी के पास एक भी उदाहरण होगा जहां मिल मालिकों ने सूद दिया हो किसानों के केन के पैसे का? उपसभाध्यक्ष जी, आर्डिनेन्स बना कि जो फैक्टरी 10 परसेन्ट केन प्राइस का बाकी लगाएगी उन को तुरन्त ही टेक ओवर किया जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस देश में कितनी शुगर फैक्टरीज हैं जिन्होंने आप के आर्डिनेन्स का पालन नहीं किया? अगर नहीं पालन किया, उन्होंने उतना चुकता नहीं किया तो आपने आर्डिनेन्स के अनुसार टेक ओवर क्यों नहीं किया? माना कि जनता पार्टी की सरकार का मिल मालिकों के साथ सहयोग था, साठ गांठ थी। लेकिन आप को चाहिए था कि जिन मिलों ने पेमेंट नहीं किया, जिन्होंने आर्डिनेन्स के रूल्स को बायलेट किया उन का टेक ओवर कर लें। आपने टेक ओवर क्यों नहीं किया?

उपसभाध्यक्ष जी अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बिहार के मिल मालिकों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया।

सरकार ने चूंकि ठीक से सिफारिश नहीं की अच्छा वकील नहीं रखा इसलिए केस हार गये और मिल मालिक जीत गए। कपूरी ठाकुर की रेजीम थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है जिस के कारण आर्डिनेन्स लागू नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि सारे जो रूल्स और रेगुलेशन्स हैं वे पूंजीपतियों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं हैं।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश):
आपको आज मालूम हुआ?

श्री रामानन्द यादव : मैं चाहूंगा कि इस में थोड़ी तबदीली लायी जाय। (Time bell rings) हमारी सरकार गरीबों की प्रतिनिधि सरकार है किसानों की सरकार है। मैं चाहूंगा कि सरकार को शुगर नीति की तरफ ध्यान देना चाहिए।

बफर स्टॉक बनाने की बात थी। मैं सरकार को सजेशन दूंगा कि आप ने जो बफर स्टॉक बनाया है उस को बेच कर किसानों का जो पैसा बाकी है उस का पेमेंट करा दीजिए। या फिर जो केन खरीदा जाता है वह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की मार्फत खरीदा जाये। यदि यह न हो सके तो कोई दूसरा मेजर लीजिए ताकि किसानों को एक्श्योरेन्स हो जाए कि उनको केन की प्राइस मिल जाएगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please conclude.

श्री रामानन्द यादव : एग््रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन जो केन की प्राइस तय करता है, उस के कामों की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एग््रीकल्चरल

प्राइसेज कमीशन, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइस तय करता है तब उसके सन्दर्भ में यह नहीं देखता कि दूसरी चीजों, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की कीमत कितनी बढ़ी है। वह यह भी नहीं देखता कि केन को, ईख को पैदा करने में कितना किसानों का पैसा खर्च होता है, कितना इनपुट्स पर खर्च करना पड़ता है, कितना श्रम बढ़ गया है, कितनी फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गयी हैं, कितने लोहे के दाम बढ़ गये हैं। वह इन सारी चीजों को मद्देनजर नहीं रखता। मैं सरकार से चाहूंगा कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन में किसानों का प्रतिनिधि भी होना चाहिए, जो नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please conclude now.

श्री रामानन्द यादव : मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज ईख के सम्बन्ध में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वे प्राइस के पैमेंट की हों, चाहे शुगर कल्टीवेशन के घटने की हों, चाहे शुगर के भाव बढ़ने की हों, उन को दूर करने के लिए लिए क्या सरकार शुगर मिलों का राष्ट्रीकरण करेगी ? क्या सरकार स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से ईख खरीदवाने की व्यवस्था करेगी ? क्या सरकार अलकोहल प्लान्ट बनाकर इस इंडस्ट्री में और कुछ योगदान करने की सोचती है ? क्या सरकार केन कल्टीवेशन शुरू होने के पहले केन की प्राइस फिक्स करेगी ताकि किसानों को यह आश्वासन रहे कि वह ईख की खेती करे या न करे या दूसरी फसल करे क्यों कि अक्टूबर में ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You ask your last question now.

श्री रामानन्द यादव : क्या सरकार केन की प्राइस इनपुट्स और दूसरी चीजों

को जोड़ कर तय करेगी ? क्या सरकार इस बात को बतायेगी कि रिकवरी के साथ केन की प्राइस न जोड़ कर बल्कि केन पैदा करने में जितना खर्च होता है उस के आधार पर केन की प्राइस फिक्स करेगी ?

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, the hon. Member has raised certain questions which are not related to the motion. He has only drawn the Government's attention to the pitiable condition of farmers on account of non-payment of cane price during the last five years. He has put a few specific questions which I shall try to answer.

SHRI RAMANAND YADAV: All my questions are related to this Calling Attention motion. You just look at it.

RAO BIRENDRA SINGH: Even take-over of sugar mills, policy of nationalisation and production of alcohol?

SHRI RAMANAND YADAV: Yes, yes, they are related.

RAO BIRENDRA SINGH Anyway, Sir,...

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): You say whatever you want to say.

RAO BIRENDRA SINGH:-...he has put a question with regard to the arrears in respect of mills that have been taken over by the Government Sir, out of the eight mills, in the case of four mil's, there are no arrears. And in three cases, the arrears are negligible. It is only one factory, the Kaveri Sugar Factory, where some arrears are yet to be paid. But the factory is still crushing and we are trying to see that these arrears are, also wiped out.

Sir, he has asked about the action taken against the factories -which have defaulted recently. In 1978 notices were issued to 22 factories

[Rao Birendra Singh] and they were asked to reduce their amounts of arrears. I am glad to say that most of these factories have done it. There are only four factories which did not come down to the level required of them, and the State Government has been advised by the Central Government to see that these arrears are also reduced to the minimum level. Sir, the Central Government as a matter of policy, tries to see that the factories conform to the regulations made by the Central Government, and they are persuaded, so far as possible, to see that there are no arrears of a very high order. The Central Government wants to move to take over the factories only in cases where the factories do not at all agree to the Central Government's rules. I am quite mindful of the difficulties experienced by the farmers if payment is not made in time.

श्री रामानन्द यादव : गुजरात में और महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज हैं उन के जिम्मे कितना पैसा है ?

RAO BIRENDRA SINGH: Factory-wise I have no break-up, Sir, but I can give the hon. Members some information with regard to the reduction in the amount of arrears. In 1978-79, the arrears were of the order of Rs. 88 crores for all the factories. On the 15th May, 1979 the total amount of arrears for the year was Rs. 7,673 lakhs. But I am glad to say that on the 15th May this year, the balance has been reduced to Rs. 515 lakhs. Similarly in the previous years out of the five years that the hon. Member has mentioned, there were arrears of nearly 12 crores. This has been reduced now to Rs. 12 crores only. So there has been considerable reduction in the arrears and there should be no anxiety on this account.

SHRI KALYAN ROY (West

tif Sugarcane Growers

Bengal): Sir, I want to say that the Minister has got a sense of humour as he said that they have all along kept the welfare of the cane growers before them and that is why the non-payment today is to the tune of Rs. 21 crores to the farmers, about whom you talk day in and day out, la it because they do not have money to pay? Or, is it not a fact, as Raj-narainji state, that Chaudhuri Charan Singh was influenced by the sugar barons to reimpose control only on 65 per cent of the sugar, leaving the remaining 35 per cent for free sale in the black market, and to raise the retail price of levy sugar from the pre-decontrol rate of Rs. 2.35 to Rs. 2.85 per Kg.? According to a conservative estimate the sugar barons made a clean profit of Rs. 250 crores. And then came the election. Is he not aware that the Maharashtra cooperative sugar mills charged a premium of Rs. 150 per quintal on all future sales of sugar made in December and January in order to finance the Lok Sabha election campaign on Congress(I)? With the result today the sugar price has gone up to Rs. 7 per kilo and in the industrial area it has gone up to as high as Rs. 9 per kilo. In view of the super profit of the sugar barons—it has already been pointed out by cost and auditing which has surveyed some of the sugar mills—I would like to know whether he will put an end to the so called dual pricing system of sugar and take over the entire stock of sugar and sell the same through licensed shops. That is one. Second: I would like to know in how many cases show-cause notices have been issued and the names of the sugar mills and companies which have received them including the names of their directors, and how many of these sugar mills belong to the large business houses. Third: What is the cost of production per tonne of sugar and what is the selling price? And in view of the super profit, would the Minister seriously consider nationalising the sugar mills?

BAO BIRENDRA SINGH: As I have already said, Government have not yet framed a policy of nationalisation of sugar mills. Therefore the question does not arise for me to further go into details. He has talked about donations being made by certain sugar mills. I am not in a position to say which mills gave donations to which party, because all these things cannot be discussed, in my *view*, under this Calling-Attention Motion. He has asked for specific information in respect of certain mills in Maharashtra and other places. I have no information with regard to individual mills. If he needs any information, he should give a separate notice.

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन् सारे
देश की मिलों के बारे में चर्चा है और
मंत्री जी कहते हैं हमें मालूम नहीं है।

SHRI KALYAN ROY: On a point of order, Sir. I would not have asked this question if I had not heard his reply. In his reply he specifically stated that show-cause notices have been issued, to certain mills. Arising out of that reply I asked a simple question as to which the mills are which received the show-cause notices," what their reaction is, and what their names are. My question arises out of his answer,

RAO BIRENDRA SINGH; These show-cause notices were issued in 1979. Out of them most of the mills reduced their amount of arrears. . . .

SHRI KALYAN ROY; I asked the names of the mills...

RAO BIRENDRA SINGH: I do not have the names of all the twenty-two mills. I can supply the names of four mills which did not come down to the required level...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Will it be possible to give the names later? If it is possible to give these names later, you can say so.

RAO BIRENDRA SINGH: I will place them, on the Table of the House later on. If that satisfies him, then there is nothing else left to answer.

SHRI KALYAN ROY: Sir, he did not reply to the question of dual pricing.

RAO BIRENDRA SINGH: The dual pricing policy was framed by the Congress(I) Government and it worked very well up to 1978 when all this control was lifted...

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT (Uttar Pradesh): There was no Congress Government at that time...

RAO BIRENDRA SINGH: Mr. Pant knows it better.

In 1978 the decision was changed by the Janata Government and this dual pricing policy was again decided upon at the end of 1979. So far as this Government is concerned, we find no difficulty in smoothly running this policy. We are not thinking of changing it.

SHRI KRISHNA CHANDRA PANT: The Minister did not follow what I said. He was not in the Congress at that time. It was the Congress Government, He has come to the Congress (I) Government.

SHRI A. G. KULKARNI: He was either in the Swatantra Party or Vishala Haryana Party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Let us not get involved in controversies. Mr, Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI: I do not want to take much time of the House. At the outset, through you, I would request the hon. Minister to be a little cooperative with us. With my personal experience and personal association with the cooperative sugar factories for the last thirty years, with all the responsibility at my

[Shri A. G. Kulkarni] command, I will put just three or four questions very specifically. I am not going to ask any rambling question for getting any rambling answer.

I want to know whether the Government is aware that we have reached a stage wherein you cannot approach the sugar problem in isolation. Sugar sugarcane and khandsari are all inter-linked and, therefore, you have to an integrated approach. I want to know whether the new Government, with its massive majority, will approach this problem in all its entirety. Various Commissions appointed by my Congress Government—you were not there then—had evolved a rational policy to be followed by the Government. There was the Bhargava Commission and before that there were Sen and other Commissions. There is the Marathe Committee which has given advice on pricing. There is the pricing policy based on the BCP formula. I want to know whether the Government has decided once and for all to solve this problem and evolve a policy based on that formula faithfully without giving fantastic price to those sugar barons in the private sector in Bihar and Uttar Pradesh at the cost of southern sugar factories which has the maximum yield and 84 crores content in this country.

Secondly, the hon. Minister is aware that the Sampath Committee has announced certain incentives. I am a member of the Sugarcane Council. They have recommended that unless the incentive policy is announced, no new investment, whether through cooperative or even public sector or private sector, should be made. Therefore, I want to know whether the incentive scheme as suggested by Sampath, will be immediately announced. You are not announcing it and that is why 10 to 20 cases are pending with the Industrial Finance Corporation for grant of loans. Will you take a decision on that?

I am very happy that he mentioned the figure of Rs. 21 crores for this year. It is not a very huge amount. My colleagues Ramanandji and Mr. Kalyan Roy perhaps do not know about the system of payment in the cooperative sector. The cooperative sector pays 60 to 80 per cent of the money within 14 days of the receipt of sugarcane...

श्री रामानन्द यादव : महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव सोसाइटी ने गवर्नमेंट से लोन मांगा था 100 करोड़ रुपये का और आपने इस सदन में अपने भाषण में कहा था, आप पिछला अपना भावण उठा कर देख लीजिए, कि केन प्राइस इसलिये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है . . .

SHRI A. G. KULKARNI: I say this with full responsibility that in Maharashtra particularly payment at the rate of 90/- per tonne is made as soon as sugarcane is received, that is within 14 days. Being a cooperative, the balance is paid only after the accounts are finalised by the 30th of June and within two months after the Ministerial Committee fix the final price.

So. I am very happy that this year the dues amounting to Rs. 21 crores are not very much compared to the earlier dues. So, I will only bring to the notice of my friend one thing.

SHRI RAMANAND YADAV; Sir.--

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Please do not interrupt.

SHRI A. G. KULKARNI: In this connection, I want only to bring to his notice another problem. I will draw the attention of the Minister again to this problem. So far as sugar is concerned—I am saying this with a full sense of responsibility—there is a necessity for clamping total control on sugar, on the production and distribution of sugar, and this dual pricing

Then, Sir, I come *o the last point which my friend, Shri Kalyan Roy, also has raised. It is no hearsay. I would like to quote from the "Lok Satta" of the 12th to 15th. Actually, the co-operative sugar mills in Maharashtra, the Rauri Sugar Factory had decided to distribute all "on money received from the merchant to all the members of the co-operative sugar factory, i would like to know whether it is a fact or not and I would like to know whether the statement of the Collector of Nasik that he found black money in the Guest House of the Nasik Sahakari Shakkar Kharkana is correct or not. In view of this, I would like to know whether the Minister will assure this House that he will advise all the State Government—it is really a State problem and I do not blame Rao Birendra Singh; I do not blame anybody, whether it is the Congress (I) Government or the government of my party—in this regard. Whoever belonging to any political party is in charge of the cooperative societies now a days makes money and distributes it to the political parties. It is now a scourge. Instead of becoming a social service organisation, the cooperatives have become a scourge as politicians are in command of this movement and I am ashamed of it. So, I want to ask the Minister whether he would be able to ask the State Governments to make inquiries in this respect and whether he will, with a

SHRI A. G. KULKARNI; Mr. Minister,
the sugar factory is distributing all the
"on" money to its members aa

[Shri A. G. Kulkarni]

per General body reports. What else do you want? They themselves have stated this in the General Body meeting. What else do you want? Now, what do you about my last question, about control on sugar?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Birendra Singh, please answer the last point.

SHRI A. G. KULKARNI: About control on sugar.

RAO BIRENDRA SINGH : As I have already stated, we want to pursue the present system.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): That is all right. Mr. Shahi, Only clarifications, please.

श्री नागेश्वर प्रताप शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मंत्री जी ने बताया कि इस साल का बकाया केवल 4 प्रतिशत रह गया है। मगर वह 4 प्रतिशत जो है वह 21 करोड़ रुपया है। मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक 21 करोड़ रुपया है और पिछले सालों का बकाया, जो कि आपने लेटेस्ट फिगर दी है उसके अनुसार 51 करोड़ रुपया है। श्रीमन्, मुझे जानकारी है और जैसे कि हमारे जिले के अधिकारी बताते हैं कि हालांकि कानून है कि इनसे इसकी रिकवरी लैंड रेवेन्यू की तरह की जाये लेकिन उसके लिये यह है कि जब तक गवर्नमेंट आफ इंडिया अप्राइज नहीं करती है, क्लियरेंस नहीं कर देती है, तब तक उनके खिलाफ कलेक्टर द्वारा लैंड रेवेन्यू के कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लैंड रेवेन्यू के कानून का इस्तेमाल का मतलब होता है कि मिल-मालिकों को अरेस्ट करना और उनकी प्रापर्टी को अटैच करना। पिछले साल जब मैंने गोरखपुर के कलेक्टर से पूछा कि सरदार नगर के मालिक के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं करते हो तो कलेक्टर ने बताया कि इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया

का क्लियरेंस मिलना जरूरी है। जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक उनके खिलाफ अटैचमेंट या अरेस्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मंत्री जी ने जो फिगर दी है उसके अनुसार जिन मिलों को नोटिस दिये गये हैं, पिछले सालों के एकाउन्ट के मुताबिक, उनके मैनेजमेंट को टेकओवर करने के लिये, वे नोटिफिकेशन 1979 में दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय से कि यह जो 51 करोड़ रुपये की बकाया है इसके लिये आप जब से इस महकमे में आये हैं, आपने इस विभाग का भार संभाला है, तब से किसी मिल को नोटिस दी गई या नहीं दी गयी ?

श्रीमन्, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने कहा कि और लोगों को जानकारी हो सकती है परन्तु सरकार को जानकारी नहीं है। अगर शूगर मिल मालिकों ने किसानों के केन के दाम दे दिये होते तो हम लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं थी कि किस पार्टी को या किस सरकार को वे इलेक्शन में चंदा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो, वह इन मिल-मालिकों से चंदा लेती है और हम यह भी जानते हैं कि हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बम्बई सम्मेलन में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का यह प्रस्ताव भी पास हुआ था कि सारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, लेकिन यह राष्ट्रीयकरण इसी लिये नहीं होता है क्योंकि इन मिल-मालिकों से सभी पार्टियां चंदा लेती हैं अपने चुनाव फंड के लिये, इसलिये कोई भी सरकार इनका राष्ट्रीयकरण नहीं करती है। हम इंटेरेस्टेड केवल इसमें हैं कि सरदार नगर शूगर फैक्टरी और सरदार शूगर फैक्टरी गोरखपुर के ऊपर लास्ट इधर का क्रैसिंग सीजन का बकाया आज भी पड़ा हुआ है परन्तु इसके बावजूद आपने उनके खिलाफ

मैनेजमेन्ट को टेक ओवर करने का नोटिस क्यों नहीं दिया ? जब कि आपको इसका अधिकार है और वहाँ इस बात की चर्चा है कि पिछले चुनाव में आपके दल को इन सरदार जी ने 10 लाख रुपया चंदे के रूप में दिया था । मैंने पहले ही कह दिया है कि सभी पार्टियाँ चंदा लेती हैं, इसलिये मुझे इससे कोई खास शिकायत नहीं है । लेकिन मुझे यह जरूर कहना है कि इनके ऊपर बकाया होते हुए भी आपने क्यों कार्यवाही नहीं की ? इसका कारण क्या यह है और जैसे कि वहाँ चर्चा है कि 10 लाख रुपये इन्होंने आपको चंदे के रूप में दिया, इसलिये इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्रीमन्, दूसरा सवाल मेरा यह है कि अभी-अभी आपने इसी महीने में चीनी इम्पोर्ट करने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए यह दो सौ करोड़ रुपये घाटा हो समझिए क्योंकि बाजार भाव इंटरनेशनल लेवल पर हायर था । यह वरना न खर्च कर के अगर आप यहाँ पर कंट्रोल लगा कर फ्री सेल शुगर पर भी कंट्रोल लगा देते तो शायद इम्पोर्ट की जरूरत न पड़ती । अगर हमने मिल मालिकों पर सख्तो की होती तो वह ब्लेक में चीनी न बेच पाते तो बाजार भाव गिराने के लिए चीनी इम्पोर्ट करने की जरूरत न पड़ती । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसानों को इंटिव देने के लिए ताकि वह ज्यादा शुगर केन पैदा करें और आपको भविष्य में भी इम्पोर्ट करने की जरूरत न पड़े, क्या आप गन्ने का दाम इसी समय एनाऊंस करने को तैयार हैं ? क्या आप यह दाम 20 रुपये प्रति मन करने की तैयार हैं ताकि किसान अभी तैयारी करेगा बोन के लिए मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You have already asked three questions.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा तीसरा प्रश्न यह है । यदि आपको यह जानकारी हो तो कृपा करके बताने का कष्ट करें । इस साल का बकाया जबकि चीनी मिलों के गोदामों में आज भी चीनी पड़ी हुई है, क्या आप प्रयास करेंगे कि उसके अग्रेस्ट बैंकों से लोन दिला कर-के किसानों के गन्ने के बकायों की सफाई कर सकें । आप उनको बैंकों से लोन दिलाइये ताकि किसान का वे पैसा अदा करें जिससे किसान अधिक गन्ना बोन के लिए प्रेरित हो ।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि 4% बकाया रह गया, उनके लिए यह भी बहुत भारी रकम है । 5 मई तक 21 करोड़ की रकम इस साल में से बकाया रह गई है । मैं माननीय सदस्य के नोटिस में यह लाना चाहूँगा कि सारी पैमेंट जितनी होनी थी वह 548 करोड़ की थी । यह कोई छोटी रकम नहीं थी जिसका पैमेंट करना था । इसमें से 527 करोड़ का भुगतान किया गया और उसमें से सिर्फ 21 करोड़ का भुगतान करना बाकी है । जो हमने पैमाना रखा है उसके अनुसार एरियर इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए । इसके मूलाविक बहुत सारी मिलें चल रही हैं । पिछले साल का भी इस तरीके से बहुत कम हुआ है । जैसे मैंने पहले अजं किया कि सन् 1978-79 में 76 करोड़ बाकी था और अब 15 मई तक इस सरकार के आने के बाद यह 76 करोड़ की रकम भी घट कर 5 करोड़ रह गई है । 51 करोड़ बाकी नहीं है बल्कि अब सिर्फ 5 करोड़ बाकी रह गया है । 76 में से 71 करोड़ का पैमेंट 15 मई, 1980 तक हो गया और सिर्फ पांच करोड़ रह गया है । इससे पहले के तीन साल का जो बकाया था वह भी 12 करोड़ रुपये के करीब है जिसमें से 15 मई तक 6 करोड़ का भुगतान हो चुका है और 6 करोड़ रुपया बाकी है । इस तरीके से एरियर को हम बहुत तेजी से कम करने की कोशिश कर रहे हैं । बगैर सरकार के एक्शन के यह नहीं होना था । सरकार ने जो कुछ काम किया है उसकी तो आपको तारीफ

[राव बीरेन्द्र सिंह]

करनी चाहिए थी। इस साल मिलों को नोटिस इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि जो कमेटी हमने बनाई है, मिलों के खिलाफ एक्शन करने के लिए सेक्रेटरीज की कमेटी है; उन्होंने यह फैसला किया था कि यह आसान काम नहीं है कि किसी प्राइवेट मिल को या कोऑपरेटिव मिल को सरकार ले कर अच्छी तरह से टेम्पोरेरी तौर पर फायदे के साथ चलाए। कोशिश यह करनी चाहिए कि वही लोग चलाएं और हम जहां तक हो सके पैसे का पेमेंट करें। तो उन लोगों को नोटिस इसलिए नहीं दिये गए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके सारे एरियर खत्म हो जाएं। डोनेशन की बात आनरेबुल मेम्बर ने की थी।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : नहीं प्राइसेस की।

राव बीरेन्द्र सिंह : नहीं प्राइसेस को तो पहली सरकार ने तय किया था। लेवी शुगर किसी को क्या दिया है। लेकिन यह सरासर गलत इल्जाम आनरेबुल मेम्बर का है कि हमने किसी एक मिल को इसलिए नोटिस नहीं दिया कि उन्होंने 10 लाख का किसी को चंदा दिया था। इस बात को मैं बिल्कुल गलत करार देता हूं और यह इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है।

इम्पोर्टर्स के लिए आनरेबुल मेम्बर ने कहा। इस सरकार को तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, ज्यों ही यह बनी शुगर का स्टॉक भी कम था और प्रोडक्शन भी कम था। वह तो इस सरकार की नीतियों की वजह से पैदा नहीं हुआ था वह तो पहली सरकार की नीति थी। शुगर केन प्रोसेस को कीमत नहीं मिली। तीन रुपये और साढ़े तीन रुपये क्विंटल का भाव उनको मिला। बहुतों ने अपने खेतों में आग लगा दी और इस वास्ते शुगर केन कम लगाया गया। गोड़ाई कम हुई कुछ और गड़बड़ियां भी हुई। एनाउन्समेंट किया गया शुभल कन्ट्रोल का लेकिन गवर्नमेंट के डिजीजन

का पता दुनिया को पहले लग गया और होने यह लगा कि स्टॉक्स छुपा दिये गये, बहुत से स्टॉक्स फैक्टरी से कम हो गये। वे बाद तक अपने रजिस्ट्रों पर अपना स्टॉक कम करके दिखाते रहे तथा पहले का बेचा हुआ दिखाते रहे। इस वजह से शुगर का स्टॉक कम हुआ और जिसकी वजह से शहर हमें इम्पोर्ट करनी पड़ी। लेकिन आइंदा के लिए हम इंसेंटिव दे रहे हैं। शुगर केन की कास्ट काफी की गयी है। किसानों को भाव भी अच्छे मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अच्छे भाव आइंदा भी हम दिला सकेंगे। इंसेंटिव्स में कमी नहीं छोड़ी जायेगी। उनको लोन भी दिये जायेंगे। इसके लिए हम अलग रकम का बंदोबस्त कर रहे हैं।

बाकी फैक्ट्रीज को बैंक्स से जो लोन देने की बात उन्होंने कही है स्टॉक्स के अग्रेस्ट। उनके सजेशन को मैं देख लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Maurya.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : एक बात साफ नहीं हुई है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): He has answered your questions. Mr. Maurya.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : अफसरों की जो कमेटी बनी जैसा मंत्री जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक एक्ट बना रखा है। उस एक्ट के अनुसार आपको काम करना है आपके अफसर उस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा डाल रहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही न की जाये। उनको प्रेरित किया जाय। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि ऐसे अफसर और आपकी सरकार मिल मालिकों पर कार्यवाही नहीं कर रही है। उस एक्ट के रहते हुए इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं और आफिसर्स कह रहे हैं कि कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You have already made that point. Now, Mr. Maurya.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य (आंध्र प्रदेश) :

उपसभाध्यक्ष महोदय

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, this allegation should not be on record, if you are not allowing me to reply. He has made an allegation on the floor of this House that officers are not in favour of taking action because they are being bribed. That should not go on record. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): If an allegation comes on the record, there are no* rules under which I can expunge it. As the Minister, you have countered the allegation. Both will go on record and I don't think there are any rules under which I can expunge those remarks. Now, Mr. Maurya. Only clarifications, please. Be as brief as possible.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA : I take just two or three minutes, Sir.

उपसभाध्यक्ष जी, पिछले साल की पाँच मार्च को माननीय गृह मंत्री जी ने जब उत्तर दिया था कि कितना बकाया किसानों का रह गया है तो उसमें उन्होंने कहा था :

"According to the latest information available the total amount due to the cane growers from sugar mill owners for the cane purchased during 1978-79 season, up to 31st January, 1979, is Rs. 95.48 crores, amounting to 34.8 per cent of the total price payable. In addition, a sum of Rs. 26.24 crores is due in respect of 1977-78 and earlier seasons. A Statement showing the state-wise position of cane arrears as on 31st January, 1979, is attached."

और वह डिटेल् में यहाँ लगा है।

माननीय मंत्री जी ने कुछ देर पहले पहली बार कहा था कि अब इक्कीस करोड़ बकाया रह गया है। अभी-अभी थोड़ा सा उन्होंने उसमें संशोधन किया है कि इक्कीस करोड़ तो केवल इस साल का है और फिर उसमें कुछ और जोड़ा है। तो माननीय मंत्री जी से एक तो मेरा यह निवेदन है कि वे

बताएं कि कुल कितना बकाया इस साल का और पिछले साल का और उससे पिछले साल का, आज के दिन कितना गन्ना उगाने वाले किसानों का चीनी के मिल-मालिकों के ऊपर बकाया है, टोटल बताएं ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने तो यह नियम बना दिया था कि अगर चौदह दिन के बाद धन दिया जायगा, तो उस पर व्याज भी देना पड़ेगा। तो, व्याज के खाते में कितना रुपया किसानों को मिला है ? जो उनका बकाया था, उस पर व्याज के खाते में कितना रुपया मिला है ? यदि पुराना रिक्काई नहीं है, तो यह बता दें कि पिछले पाँच साल में व्याज के खाते से कितना रुपया मिला है ?

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं एक सम्मानित किसान रहे हैं और हैं। क्या वे यह उचित नहीं समझते कि जब बर्तिये से कोई चीज किसान लेता है, तो वह तुरंत पैसा रखवा लेता है, तब वह दुकान से ले जाने देता है, तो जो किसान का पैदा किया हुआ गन्ना है, बजाए इसके कि चौदह दिन के अन्दर दिया जाए, क्या वे संशोधन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसकी मियाद एक हफ्ता रखी जाए ? अगर एक हफ्ते के अन्दर या तुरंत पेमेंट करता है, तो ज्यों का त्यों दे दें, बर्ना नहीं तो एक हफ्ते का उस पर व्याज भी दें कि उस पर व्याज का कितना बना। क्या यह संशोधन भी माननीय मंत्री जी करने की कृपा करेंगे ?

मैं फिर से शाही जी की इस बात को याद दिला कर के आधे मिनट में समाप्त कर दूंगा कि कांग्रेस का अधिवेशन होने के बाद बम्बई में यह प्रस्ताव निबिरोघ पारित हुआ था कि चीनी के उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। यह बम्बई के सेशन में प्रस्ताव हुआ था।

श्री भा० दे० खोबरागडे (महाराष्ट्र):
यह जरूरत है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : तो क्या माननीय मंत्री जी उचित नहीं समझते—अब तो वे दुबारा सत्ता में आ गये हैं—सत्ता में नहीं रहे थे, जिन कारणों से नहीं रहे थे, उनको वे जानते हैं—क्या वे उचित नहीं समझते कि तमाम परेशानियों का हल एक ही है कि किसानों की कोआपरेटिव सोसायटी, जाइंट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर में यह मिल खुले और जो 102 लाइसेंस उनको दिये गये थे, उनको पूरा किया जाए, क्योंकि उन 102 लाइसेंसों को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है, मुश्किल से 58 मिल खुल पाए हैं बकाया अभी पड़े हैं। तो, यह मेरे चार मोटे-मोटे प्रश्न हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रीमन्, श्री मौर्य जी ने टोटल एरियाज की रकम पूछी है और उन्होंने खुद ही बता भी दी पहले अपने मुंह से कि इस साल का इक्कीस करोड़ रुपया है और अब जो 15 मई, 1980 तक का मेरे पास व्योरा है, उसके मुताबिक 1978-79 का कुल पाँच करोड़ पन्द्रह लाख रुपया बकाया है और इससे पहले के तीन साल का सारा छह करोड़ ब्यालीस लाख रुपया बकाया है। तो यह सारा टोटल 32 करोड़ होता है, जैसा आपने खुद फरमाया।

श्री भा० दे० खोबरागडे : पाँच साल से पहले का भी कुछ देने का है क्या?

राव बीरेन्द्र सिंह : उससे पहले का पूछा नहीं है। यदि पूछेंगे तो बता दिया जायगा। तो इस हिसाब से कुल 32 करोड़ बकाया है। यह बहुत ही मामूली रकम है अगर इस बात को देखें कि कितना गन्ना आता है—जहाँ एक साल का हिसाब सैकड़ों, करोड़ों के अन्दर हो, तो यह कोई ज्यादा नहीं है।

इंस्ट्रस्ट, कहाँ-कहाँ, कितना-कितना दिया गया है, इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इनफार्मेशन नहीं है। चौदह दिन के ऊपर श्री मौर्य जी ने इतराज किया है कि क्यों ना यह घटा कर सात दिन कर दिया जाए। हकीकत यह है कि बड़ी मुश्किल होती है, ट्रस्ट का हिसाब पाँच-पाँच सात-सात दिन का करने के लिए। बहुत सी कोआपरेटिव मिल हैं, हमारे किसान भी उसी इलाके के होते हैं। अगर किसान मंडी में भी अपना अनाज ले जाता है आड़ती के पास, तो उसको उसी वक्त पैसा नहीं मिलता है, वह भी चार-पाँच दिन के बाद मिलता है। तो रोज का हिसाब, गन्ने का तुलवाना भी और उसका हिसाब भी करना, उसके अन्दर बहुत सी दिक्कत पड़ती हैं। तो यह कायदा सिर्फ इसलिए बनाया है कि यह सिम्पल से सिम्पल रहे और ज्यादा से ज्यादा दबाव पीकटरियों के ऊपर रहे और पैसा किसान को बराबर मिलता रहे। चौदह दिन की लिमिट इसलिए रखी गई है। मैं नहीं समझता कि इसमें तब्दीली करने की जरूरत है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : देना है तो कुछ प्रपोजल तो दे दीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं खुद ही ठीक नहीं समझ रहा हूँ कुछ देना है तो फिर आगे का कैसे दूँ? कोआपरेटिव्ह मिल्स को हम तरजीह देते हैं। अब भी हमारी पाबिसी है कि जहाँ स्टेट सैक्टर में या कोआपरेटिव सैक्टर में लाइसेंस मांगे जाएं उसको हम तरजीह दें और जहाँ विसी एरिया में, कोआपरेटिव सैक्टर में, लोग मिल लगाने के लिए तैयार नहीं हैं वहाँ हम प्राइवेट पार्टिज को मिलें लगाने का लाइसेंस देंगे।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल यह है कि एरियर्स के बारे में आपने बताया तो

बिहार में कितना है ? यानी बिहार में मिल ओनर्स को कितना एरियर्स गन्ना उत्पादकों को देना है खास कर के तीन मिलों, लोहट, कसरी और रैयाम का कितना एरियर बाकी है ?

आपने बताया कि नोटिसेज दी गई हैं। कितनी नोटिसेज अभी हैं ? जो अभी तक आपको डिफाल्टर्स मिलें हैं उनका टोटल क्या है और संबंधित ओनर्स जो हैं वे कौन बिजनेस हाऊस वाले हैं ? क्या उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड किया है आपकी नोटिसेज का यह भी आप बताएं।

तीसरा सवाल है, जो मिलों ने डोनेशन दिया है, मिलों से पैसे लिए गए हैं यह बात अखबार में आई है, अभी अभी आप बहुत सेन्सिटिव होकर उस का खंडन करने पर तुल गए थे तो इससे साबित होता है कि इसके पीछे कोई प्राइमा फेसी केस है—दाल में कुछ काला है। इसलिये क्या आप एक उच्च-स्तरीय जांच कमेटी बैठाएंगे ताकि इसकी जांच हो सके कि हर्कॉकन में किन मिल मालिकों ने पैसा दिया और कितना दिया और कैसे दिया। क्या इसकी कोई जांच कमेटी बिठाएंगे ? अच्छा होता यदि आप पार्लियामेंट की ही कमेटी बैठाते। एक रिटायर्ड जज है उसके नीचे आप बैठा दें।

चौथे, आपने कहा कोआपरेटिव को हम प्रोत्साहन देते हैं। अब आपकी कोणिश है कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं वे ही उत्पादन ज्यादा बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या यह बात सही नहीं कि रेट आफ प्रोडक्शन कोआपरेटिव में या जो बिल्कुल स्टेट सेक्टर है, नेशनलाइज्ड सेक्टर है उसमें ज्यादा है वनिस्वत प्राइवेट फीक्ट्रीज में जो बिल्कुल प्राइवेट मालिकों की मातहत हैं ? यदि यह बात सही है तो जितनी भी सारी शुगर फीक्ट्रीज हैं उन को लेने में आपको क्या हिचकिचाहट हो सकती है ?

मेरा आखरी और 5वां सवाल है : बाहर से आप चीनी मंगाते हैं, क्यूबा से भी मंगाते हैं, तो अब तक कितनी चीनी क्यूबा से आपने मंगाई है पिछले 2 सालों में ? क्या इसके आंकड़े देंगे ?

राव बोरेंद्र सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, बिहार के मुताल्लिक आनरेबल मेम्बर ने सवाल किया है। बिहार में सारी मिलों का इस साल 1 करोड़ 73 लाख ६० बकाया है, पिछले साल 1978-79 का कुल 73 लाख ६० बकाया है, और उस से पहले के 3 सालों का—चूंकि 5 साल की इन्फार्मेशन मांगी थी आनरेबल मेम्बर ने—इस से पहले के सालों का 1 करोड़ 32 लाख 77 हजार ६० बाकी है ; बिहार में कुल रकम अभी एरियर्स में है... (Interruptions) किसी एक इंडिविजुअल मिल के बारे में मैं इस वक्त इन्फार्मेशन नहीं दे सकता, न मेरे पास इन्फार्मेशन है।

जिन 22 मिलों को नोटिस दिये गये उन में से सिर्फ चार मिलें हैं जिन के एरियर्स कायदे के मुताबिक जितने होने चाहिए उस से ज्यादा हैं। उन में से दो कोआपरेटिव मिल हैं एक दोराजू और एक मरौली—ये गुजरात की हैं। और दो प्राइवेट सेक्टर की मिलें हैं जिन में एक जावरा की है और एक मेहदीपुर की है—ये दोनों मध्य प्रदेश की हैं। इन चार मिलों के एरियर्स कुछ ज्यादा हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हम ने लिखा है कि इन के एरियर्स भी कम करे ताकि सरकार को फिर इन्हें टेक ओवर करने के अंजट में न पड़ना पड़े।

आनरेबल मेम्बर ने कहा कि कुछ मिलों ने पैसे दिये हों तो उन पर इनक्वायरी कमेटी बिठायी जाये। पिछले तीन सालों में कोआपरेटिव मिलों ने जो किया, जो पिछली सरकार ने किया और जिस तरीके से तीन वर्ष में दो-दो बार पोलिसी

[राज बोरेंद्र सिंह]

बदली गयी, कभी कन्ट्रोल हटा दिया, कभी अचानक कन्ट्रोल लागू कर दिया, उस पर भी इनक्वायरी कमेटी हम ने नहीं बिठाई। जब हमारे पास आनरेबिल मेम्बर्स की तरफ से किसी मिल के मूताल्लिक कोई खास इन्जामात या इन्फारमेशन नहीं है तो इनक्वायरी कमेटी की बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता।

नेशनलाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा। उस के बारे में मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। नेशनलाइजेशन करने की अभी सरकार की ओर से कोई पोलिसी नहीं है इसलिए इस बारे में विचार नहीं किया।

श्री शिव चन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि क्या क्यूबा से चीनी मंगाते हैं और अगर मंगाते हैं तो कितनी मंगाते हैं ?

I have no information, at this moment, about the quantity of sugar being imported from Cuba or any other country.

श्री हरी शंकर भाभड़ा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, चीनी के उत्पादन और चीनी की दर से किसानों को भुगतान का अभिभाज्य सम्बन्ध है। समझ में आता है कि जनता पार्टी के राज में चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ उस की कृपा बहुत कम हो गयी, इस लिए किसानों को भुगतान कम हुआ। अब यह भी समझ में आ रहा है कि चीनी के दाम बहुत बढ़ गये हैं, उत्पादन कम हो गया है इस लिए किसानों का भुगतान भी हो रहा है इस लिए आप सारे एरियर्स भी क्लियर कर रहे हैं। ये दोनों बातें हमारी समझ में आती हैं।

अभी आप ने बताया कि आठ चीनी मिलों को आप ने टेकओवर किया है, उन में से चार चीनी मिलें हैं जिन में से

भी 3 में एरियर्स है पर आपकी दृष्टि से कम हैं, नेगलीजिबिल हैं। लेकिन एक मिल ऐसी है जिस में एरियर्स आप के हिसाब से काफी बकाया हैं। जिस चीनी मिल को आप स्वयं चला रहे हैं उसमें भी किसानों को देय राशिवां एरियर बाकी हैं तो उस का क्या कारण है ?

किसानों को भुगतान के सम्बन्ध में क्या आप ने इस बात पर भी विचार किया है कि चीनी मिलों के अन्दर जो मशीनरी लगी हुई है वह इतनी पुरानी हो चुकी है कि चीनी मिल मालिक शायद इस बात के लिए तैयार बंटे होंगे कि आप टेकओवर करें और वो बड़ी खुशी से देने के लिए सहर्ष तैयार हों। आप इस लिए हिचकते हैं कि उसे चलाने में आप भी सक्षम नहीं हैं और आप चीनी भी सस्ती नहीं कर पायेंगे। क्या यह तथ्य भी आपके दिमाग में हैं ?

सूद के बारे में आप आंकड़े बता नहीं रहे हैं लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। 15 प्रतिशत सूद देने की बात है। जहाँ मूल अदा नहीं किया जा रहा है, वहाँ सूद अदा किया जा रहा है इस में हम को शंका है। इसी लिए आप बार-बार कहते हैं कि बता नहीं सकता उस के आंकड़े। यह जरूरी है बताना क्यों कि इस से हम को विश्वास हो जाएगा कि उन को सूद मिलता है। 15 प्रतिशत सूद मिलता है तो कुछ तो सांत्वना किसानों को मिलेगी। लेकिन मुझ को लगता है कि सूद मिलता नहीं है और इसी लिए आप के पास आंकड़े नहीं हैं।

कास्ट आफ प्रोडक्शन का भी बहुत महत्व है क्यों कि कास्ट आफ प्रोडक्शन पर किसानों का भुगतान भी निर्भर करता है, प्राइसिंग भी निर्भर करती है। कास्ट आफ प्रोडक्शन के साथ आप की प्राइसिंग

पोलिसी और नया इनवेस्टमेंट भी जुड़े हुए हैं या इसी लिए क्या इन सारे मसलों पर आप पूरी गम्भीरता से विचार करने के लिए तैयार हैं ?

अन्त में चन्दे की बात । मान लीजिए किसी ने चंदा दिया हो या किसी ने नहीं दिया हो तो भी क्या आप इस पर विचार करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि चीनी को बाजार में सस्ती बेचने के लिए लोगों को सुविधा मिले । क्या आप इस सम्बन्ध में सावधानी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा न हो ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, 8 में से सिर्फ 1 मिल है जिस में कुछ एरियर्स बाकी हैं—आनरेबिल मेम्बर की समझ में सारी बात आ चुकी है—जितने होने चाहिए उस से ज्यादा बाकी हैं । उन को खत्म करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं । वह मिल तमिलनाडु में है जहाँ अभी क्रिशिंग सीजन चल रहा है । चूँकि वहाँ अभी क्रिशिंग सीजन चल रहा है इसलिए मैं समझता हूँ कि ज्यादा एरियर इस पीरियड का होगा जब कि इस साल भी गन्ना उस मिल को सप्लाई किया जा रहा है किसानों की तरफ से तो पुराना एरियर ज्यादा नहीं है । इंटरैस्ट के लिये अगर 303 मिलें हिन्दुस्तान में हैं तो उन में से किस किस ने किस किसान को कितना इंटरैस्ट दिया तो इस को ले कर तो किताब की किताब बन जायेगी अगर सारी इंफार्मेशन दी जाये तो, यह दिया जाए कि किस किस मिल ने किस किस किसान को कितना दिया (Interruptions)

श्री हरी शंकर भासड़ा : इंटरैस्ट दिया गया या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस वक्त तो मेरे पास इंफार्मेशन नहीं है यह मैं पहले

ही अर्ज कर चुका हूँ लेकिन यह इंफार्मेशन देने के लिये हम सारी स्टेट्स को बार-बार कह चुके हैं लेकिन अभी तक स्टेट्स की तरफ से यह इंफार्मेशन सप्लाई नहीं की गयी है । वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कोशिश कर रही है कि यह इंफार्मेशन हम को मिले ।

श्री भा० दे० खोबरागडे : यह इंफार्मेशन कब तक यहाँ रखेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आप पूछेंगे तो दे दूँगे ।

Statement by Minister Reconstitution of the Press Commission

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI V. P. SATHE): Sir, yesterday, some Hon. Members had mentioned in the House that the names of the new Members of the Press Commission should have been conveyed to the Sabha first.

As the Hon. Members are aware, Government had accepted the resignations submitted in January, 1980, by the former Chairman and the Member of the Press Commission and had also announced that the Commission would be reconstituted with revised and more comprehensive terms of reference. Subsequently, Government extended the tenure of the Press Commission till the 31st December 1980 and had also appointed dShri Justice K. K. Mathew as the Chairman on April 21, 1980.

For some time, some names have been appearing in the Press. Under the rules as far as the names of the Member of the Press Commission are concerned, they have to be duly notified so that they could be validly published. However, as to the revised terms of reference, they have to be approved by the Cabinet. Hence, the Notification of the names of the new